कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास परियोजनाएँ, जयपुर ।
(जयपुर विकास प्राधिकरण भवन)

क्रमांक:भू•अ•/नवि/91   दिनांक: 10•6•91

मुकदमा नम्बर:

1•	587/88	8•	61?/88
2•	593/88	9•	612/88
3•	594/88	10•	618/88
4•	597/88	11•	621/88
5•	599/88	12•	~~626/88~~ 575/88
6•	600/88		
7•	604/88		

विषय:- जयपुर विकास प्राधिकरण को अपने कृत्यों के निर्वहन व विकास कार्य क्रम के क्रियान्वयन हेतु ग्राम नन्दकिशोरपुरा उर्फ मान्यावास की भूमि अवाप्ति बाबत (पृथ्वी राज नगर योजना)

-: अ वा र्ड :-

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएँ
जयपुर

उपरोक्त विषयान्तर्गत भूमि की अवाप्ति हेतु राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 (1984 का केन्द्रिय अधिनियम संख्या 1) (की धारा 4 (1) के तहत क्रमांक प6(15)नविआ/II/87 दिनांक 6•1•1988 को तथा गजट प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में ~~~~ जुलाई, 1988 को कराया गया ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा 5-ए की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजने के उपरान्त राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा 6 का गजट प्रकाशन क्रमांक प(15)नविआ/3/87 दिनांक 28•7•89 का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में 31 जुलाई, 1989 को किया गया ।

राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा जो धारा 6 का गजट प्रकाशन कराया गया उसमें

81

नन्दकिशोरपुरा उर्फ माच्यावास तहसील सांगानेर में अवाप्ताधीन भूमि की स्थिति इस प्रकार बताई गई है :-

क्र·सं·	मुकदमा नं·	खसरा नम्बर	रकबा बी· वि·	खातेदार का नाम
1·	2·	3·	4·	5·
1·	587/88	1/262	04 - 08	बिरदा पुत्र गोपाल माली
2·	593/88	29/203	10 - 00	गोविन्दराम पुत्र श्योना-
		29/219	03 - 07	रायण
3·	594/88	200/[illegible]	09 - 00	कैलाश कुमार, ऋषि कुमार, इन्द्र कुमार पिता चौथमल नाबालिक संरक्षक रामदेवी बेवा चौथमल माली सा· स्वैजफार्म
4·	597/88	200/1	01 - 15	विक्रम सिंह मेहलावत पुत्र
		179/243	00 - 01	श्री बुधाराम चौधरी जाट सा·बी-193 बापू नगर, जयपुर ।
5·	599/88	136	00 - 02	बन्ने सिंह पुत्र सवाईसिंह राजपूत सा· देह
6·	600/88	140	00 - 07	भँवर बाई धर्म पत्नि
		148	03 - 10	छोटू सिंह राजपूत सा· देह
		151	00 - 16	
		152	00 - 16	
		141	02 - 14	
7·	604/88	146	01 - 02	जोहरीलाल पुत्र चंदालाल
		147	01 - 15	जाति माली सा· स्वैजफार्म
		145/218	08 - 12	
		144/211	07 - 15	
8·	619/88	192	03 - 00	श्रीमति सत्यवती देवी
		191/249	04 - 08	पुत्री श्री रामेश्वर सिंह पत्नि श्री भोला सिंह नि· जयपुर

भू अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास ओपिनियर
जयपुर

....3.

52

1.	2.	3.	4.	5.
9.	612/88	178	00 - 08	जगदीश, बाबूलाल, रामजीलाल पिता छोटेलाल कुमावत सा. देह
10.	618/88	188	02 - 06	भौरीलाल पुत्र छोटीलाल कुमावत
		191	02 - 14	
		190/250	01 - 02	
11.	621/88	200/2	07 - 10	उत्तम चंद पुत्र राधारमण ब्राहम्ण
12.	575/88	56	00 - 08	सिवाय चक
		57	00 - 01	
		60	00 - 02	
		84	00 - 15	
		85	00 - 04	
		133	09 - 18	

मु. नं. 587/88 खसरा नम्बर- 1/262-

धारा 6 के गजट में खसरा नम्बर 1/262 श्री बिरदा पुत्र गोपाल माली के नाम दर्ज है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के नोटिस दिनांक 15.11.90 को जारी किया गया जिसके तहत दावेदार बिरदा उपस्थित हुआ लेकिन कोई क्लेम पेश नहीं किया पुनः दिनांक 11.1.91 को खातेदार बिरदा उपस्थित हुआ लेकिन कोई क्लेम पेश नहीं किया गया । इसके पश्चात् दिनांक 8.2.91, 11.3.91, 16.3.91, 5.4.91, 22.4.91, 23.4.91 को दावेदार की तरफ से श्री सत्य देव शर्मा अभिभाषक उपस्थित हुऐ लेकिन कोई क्लेम पेश नही किया । अतः दावेदार के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

मुकदमा नं. 593/88 खसरा नम्बर 29/203, 29/219

धारा 6 के गजट में खसरा नम्बर 29/203 एवं 29/219 श्री गोविंदराम पुत्र श्योनारायण के नाम दर्ज हैं । दावेदार को एवं आपत्तिकर्ता प्रतिनिधि, अरविंद गृह निर्माण सहकारी समिति को धारा 9 एवं 10 के नोटिस दिनांक 10.11.90 को जारी किये गये जो खातेदार के पुत्र भवानी शंकर पुत्र गोविदराम को तामिल कराया गया एवं समिति ~~की तरफ से श्री ...~~ का नोटिस समिति का सही पता नही मिलने के कारण मौके पर चस्पा किया गया । जिसके तहत

....4.

दावेदार उपस्थित नही हुआ लेकिन समिति की तरफ से श्री गोपाल प्रसाद उपाध्यक्ष उपस्थित हुये लेकिन कोई क्लेम पेश नही किया गया । दिनांक 13•3•91, 19•3•91, 20•3•91 को भी समिति की तरफ से श्री गोपाल प्रसाद उपस्थित हुये लेकिन कोई क्लेम पेश नही किया गया । समिति के भूखण्डधारियों को धारा 9 एवं 10 के नोटिसकी सूचना नवभारत टाईम्स समाचार पत्र में दिनांक 24•4•91 को प्रकाशित करके दी गई । एवं समिति को रजिस्टर्ड ए•डी•नोटिस भी जारी किया गया लेकिन भूखण्डधारी एवं समिति की तरफ से कोई उपस्थित नही हुआ । उक्त समिति द्वारा एक वाद मुन्सिफ कोर्ट मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जयपुर में दायर किया था, लेकिन स्टे की सूचना प्राप्त नहीं हुई । दावेदार एवं समिति ने भूमि बेचान व खरीद के कोई प्रमाणित दस्तावेजात पेश नही किये है जिससे यह सिद्ध हो सके कि दावेदार ने समिति को भूमि बेच दी है । समिति ने भी अपने हक में कोई प्रमाणित दस्तावेजात पेश नही किये गये । और ना ही क्लेम पेश किया गया । अतः दावेदार एवं समिति के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

~~खसरा नम्बर~~- मुकदमा नंबर-594/88 खसरा नम्बर 200/207

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

धारा 6 के गजट में खसरा नम्बर 200/207 श्री कैलाश कुमार, ऋषि कुमार, इन्द्र कुमार पिता चौथमल नाबालिग संरक्षक रामदेवी बेवा चौथमल माली सा• स्वेजफार्म के नाम दर्ज हैं । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के तहत नोटिस दिनांक 9•11•90 को जारी किये गये नोटिस दावेदार इन्द्रकुमार को तामिल कराये गये । अन्य दावेदार के न मिलने पर मौके पर नोटिस चस्पा किये गये । लेकिन दावेदारान् उपस्थित नही हुऐ पुनः नवभारत टाईम्स समाचार पत्र में दिनांक 18•4•91 को धारा 9 एवं 10 का नोटिस का प्रकाशन कराया गया एवं रजिस्टर्ड ए•डी•नोटिस दिनांक 25•3•91 को जारी किये गये । बावजूद दावेदार उपस्थित नहीं हुऐ । अतः इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

मुकदमा नम्बर-597/88 खसरा नम्बर- 200/1, 179/243

धारा 6 के गजट में खसरा नम्बर 200/1 एवं 179/243 श्री विक्रम सिंह महलावत पुत्र श्री बुद्धाराम चौधरी जाति जाट सा•बी-193 बापू नगर, जयपुर के नाम दर्ज है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 9•11•90 को जारी किये गये लेकिन ~~खातेदार~~ तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर खातेदार नहीं मिलने के कारण चस्पा कर नोटिस तामील कराये गये । लेकिन दावेदार

उपस्थित नही हुआ । अतः पुनः धारा 9 एवं 10 के नोटिस दिनांक 18.4.91 को नवभारत टाईम्स समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशन कराये गये । एवं रजिस्टर्ड ए.डी. द्वारा भी धारा 9 एवं 10 के नोटिस 20.4.91 को जारी किये गये जिसकी तामीली रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं। लेकिन दावेदार उपस्थित हुवे हुवे नही हुवे । अतः इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

मुकदमा नम्बर 599/88 खसरा नम्बर 136

धारा 6 के गजट में खसरा नम्बर 136 श्री बन्ने सिंह पुत्र सवाई सिंह राजपूत सा. देह के नाम खातेदारी दर्ज है । धारा 9 एवं 10 के नोटिस केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत जारी किये गये । नोटिस तामील के बावजूद दावेदार उपस्थित नही हुआ । पुनः धारा 9 एवं 10 के नोटिस 18.2.91 को जारी किये गया और जिसके तहत दिनांक 25.3.91 को श्री सोहन सिंह सोलंकी अभिभावक दावेदार की तरफ से उपस्थित हुये । लेकिन कोई क्लेम पेश नही किया गया । दिनांक 9.4.91, 22.4.91, 26.4.91, 9.5.91, को भी दावेदार के अभिभावक श्री सोहन सिंह सोलंकी उपस्थित होते रहे लेकिन कोई क्लेम पेश नहीं किया गया। अतः इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

मुकदमा नम्बर-600/88 खसरा नम्बर 140, 148, 151, 152, 141

धारा 6 के गजट में खसरा नम्बर 140, 148, 151, 152, एवं 141 श्रीमती भंवर बाई पत्नि छोटू सिंह राजपूत सा. देह के नाम खातेदारी दर्ज है। धारा 9 एवं 10 के नोटिस दिनांक 9.11.90 को जारी किये गये जिसके तहत दिनांक 18.2.91 को दावेदार श्रीमति भंवर बाई के पुत्र श्री रतन सिंह उपस्थित हुये लेकिन कोई क्लेम पेश नहीं किया गया । पुनः धारा 9 एवं 10 के नोटिस दिनांक 8.4.91 को रजिस्टर्ड ए.डी. द्वारा जारी किये गये एवं नवभारत टाईम्स समाचार पत्र में दिनांक 18.4.91 को नोटिस धारा 9 एवं 10 के प्रकाशित कराये गये । दिनांक 26.4.91 को दावेदार की ओर से श्री सत्यदेव शर्मा अभिभावक उपस्थित हुये लेकिन कोई क्लेम पेश नहीं किया गया । अतः दावेदार के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

मुकदमा नम्बर 604/88 खसरा नम्बर- 146, 147, 145/218, 144/211

धारा 6 का गजट में खसरा नम्बर 146, 147, 145/218, 144/211 श्री जोहरीलाल पुत्र चंदा लाल जाति माली सा. स्वेजफार्म के नाम खातेदारी

....6

... नही हुआ । उक्त

दर्ज है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत धारा 9 एवं 10 के नोटिस दिनांक 9.11.90 को जारी किये गये दावेदार के मौके पर नही मिलने के कारण दावेदार के फार्म पर कार्य करने वाले श्री बद्री पुत्र देवीलाल हिस्सेदार को नोटिस तामील कराया गया । बावजूद सूचना के दावेदार उपस्थित नही हुआ । पुनः धारा 9 एवं 10 के नोटिस दिनांक 25.2.91 को जारी किये गये जिसके तहत दावेदार की तरफ से श्री सत्यदेव शर्मा अभिभाषक उपस्थित हुये लेकिन कोई क्लेम पेश नहीं किया गया । दिनांक 9.4.91, 19.4.91, 25.5.91, को भी दावेदार की तरफ से श्री सत्य देव शर्मा अभिभाषक उपस्थित होते रहे लेकिन कोई क्लेम पेश नहीं किया गया। अतः दावेदार के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

मुकदमा नम्बर 612/88 खसरा नम्बर- 192, 191/249

धारा 6 के गजट में खसरा नम्बर 192, 191/249 श्रीमती सत्यवती देवी पुत्री श्री रामेश्वर सिंह पत्नि श्री भोला सिंह निवासी जयपुर के नाम खातेदारी दर्ज हैं । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के नोटिस दावेदार एवं आपत्तिकर्ता श्री जय चामुण्डा गृह निर्माण सहकारी समिति को जारी किये गये दावेदार का नोटिस श्रीमती सत्यवती के पति को तामील कराये गये । एवं समिति का पता नही मिलने के कारण मौके पर नोटिस चस्पा किया गया लेकिन दावेदार एवं समिति की तरफ से कोई उपस्थित नही हुआ । दिनांक 25.2.91 को पुनः नोटिस धारा 9 एवं 10 के रजिस्टर्ड ए.डी. जारी किये गये जिसके तहत दिनांक 25.3.91 को समिति एवं दावेदार की तरफ से श्री एस.के.टेलर अभिभाषक उपस्थित हुये । लेकिन कोई क्लेम पेश नहीं किया गया । दिनांक 20.3.91 को भी नवभारत टाईम्स में नोटिस प्रकाशित कराये गये । दिनांक 9.4.91 को समिति की तरफ से श्री ए.एस. राठोड उपस्थित हुये लेकिन कोई क्लेम पेश नहीं किया गया न ही खातेदार की तरफ से कोई उपस्थित हुआ। दिनांक 10.5.91 को समिति की ओर से श्री आनन्द सिंह सचिव उपस्थित हुये लेकिन कोई क्लेम पेश नहीं किया गया। अतः इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

613 मुकदमा नम्बर 612/88 खसरा नम्बर- 178

धारा 6 का गजट में खसरा नम्बर 178 श्री जगदीश, बाबूलाल , रामजीलाल पिता छोटे लाल कुमावत सा.देह के नाम खातेदारी दर्ज हैं । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के नोटिस दिनांक 9.11.90 को जारी किये गये लेकिन खातेदार उपस्थित नहीं हुआ । उक्त

दिनांक को ही आपत्तिकर्ता शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति को भी धारा 9 एवं 10 के नोटिस जारी किये गये थे जो पता नहीं मिलने के कारण मौके पर चस्पानगी द्वारा तामील कराये गये । लेकिन समिति की तरफ से भी कोई उपस्थित नहीं हुआ । दिनांक 25.2.91 को पुनः नोटिस रजिस्टर्ड ए.डी. जारी किये गये जिसके तहत दिनांक 25.3.91 को समिति की ओर से प्रतिनिधी श्री कन्हैयालाल उपस्थित हुये परन्तु कोई क्लेम पेश नहीं किया गया अन्य दावेदार उपस्थित नहीं हुये । दावेदारान को रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस धारा 9 एवं 10 के जारी किये गये एवं दिनांक 18.4.91 को नवभारत टाईम्स समाचार पत्र में भी धारा 9 एवं 10 के नोटिस प्रकाशित कराये गये लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुये । अतः इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

मुकदमा नम्बर 618/88 खसरा नम्बर 188, 191, 190/250

धारा 6 का गजट में खसरा नम्बर 188, 191, 190/250 श्री भौरी लाल पुत्र छोटीलाल कुमावत के नाम दर्ज हैं । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के नोटिस दिनांक 9.11.90 को जारी किये गये । लेकिन कोई जिसके तहत दावेदार की तरफ से श्री विनोद कुमार दावेदार का भाई उपस्थित हुआ । लेकिन क्लेम पेश नहीं किया गया । पुनः धारा 9 एवं 10 के नोटिस रजिस्टर्ड ए.डी. द्वारा दिनांक 25.2.91 को जारी किये गये एवं दिनांक 3.4.91 को नवभारत टाईम्स समाचारपत्र में भी धारा 9 एवं 10 के नोटिस प्रकाशित कराये गये लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुये । अतः इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

मुकदमा नम्बर 621/88 खसरा नम्बर 200/2

धारा 6 का गजट में खसरा नम्बर 200/2 श्री उत्तम चंद पुत्र राधारमण ब्राहम्ण के नाम खातेदारी दर्ज हैं । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के नोटिस दिनांक 9.11.90 को जारी किये गये लेकिन तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार दावेदार ने नोटिस पढा व लेने से इन्कार किया अतः खातेदार के सामने मौके पर चस्पा किया गया । लेकिन दावेदार उपस्थित नहीं हुआ । पुनः धारा 9 एवं 10 के नोटिस दावेदार एवं आपत्तिकर्ता दी राजहंस हाउसिंग को.सोसायटी को रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस दिनांक 25.2.91 को जारी किये गये एवं नवभारत टाईम्स समाचार पत्र में दिनांक 20.3.91 को नोटिस प्रकाशित कराये गये दिनांक 25.3.91 एवं 9.4.91 को दावेदार की तरफ से श्री सोहन सिंह

....8,

सोलंकी अभिभाषक उपस्थित हुये लेकिन कोई क्लेम पेश नहीं किया गया। समिति की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। दिनांक 9.5.91 को दावेदार की तरफ से श्री सोहन सिंह सोलंकी अभिभाषक उपस्थित लेकिन कोई क्लेम पेश नहीं किया गया। दिनांक 25.5.91 एवं 31.5.91 को भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। अत: इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

<u>मुकदमा नम्बर- 575/88 खसरा नम्बर- 56,57,60,84,85, एवं 133</u>

धारा 6 का गजट में खसरा नम्बर 56,57,60,84,85 एवं 133 सिवाय चक दर्शाया गया है। दिनांक 18.12.90 को सांगानेर तहसील के पटवारी श्री राज बहादुर शर्मा उपस्थित हुये थे जिन्हें बयान देने हेतु आगामी तारीख पर पाबन्द किया गया था लेकिन उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 31.5.91 को तहसीलदार, तहसील सांगानेर को धारा 9 एवं 10 का नोटिस जारी किया गया जो शामिल कराया गया लेकिन तहसील से कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्राधिकरण के अभिभाषक श्री के.पी. मिश्रा का कथन है कि चूंकि यह भूमि सिवाय चक दर्ज है अत: सिवाय चक भूमि स्वत: ही राज्य सरकार में निहित होती है अत: इसका अवार्ड नहीं किया जाना चाहिये।। हम इस कथन से सहमत हैं। इसलिये उक्त भूमि जो कि सिवाय चक है का अवार्ड जारी नहीं किया जा रहा है।

मि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास प्रोजेक्ट
जयपुर

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तर्गत उपरोक्त मुकदमात में सार्वजनिक नोटिस भी तामील कुनिन्दा द्वारा संबंधित तहसील/पंचायत समिति, नोटिस बोर्ड व ग्राम पंचायत व सरपंच को दिये व चस्पा कराये। मैं नोटिस दिनांक 27-4-91 को [illegible]

<u>मुआवजा निर्धारण:</u>

जहां तक उपरोक्त खसरा नम्बरान् के खातेदारान/हितधारान को मुआवजा निर्धारण का प्रश्न है उपरोक्त सभी मामलों में एक तरफा कार्यवाही होने के कारण एवं खातेदारान्/हितधारान् द्वारा कोई क्लेम पेश नहीं करने के कारण खातेदारान्/हितधारान् की ओर से मुआवजा की राशि मांग का कोई प्रश्न नहीं उठता।

लेकिन नेचुरल जस्टिस के सिद्धान्त के अनुसार इस संबंध में जयपुर विकास प्राधिकरण जिसके लिये भूमि अवाप्ति की जा रही है का भी पक्ष ज्ञात किया गया जयपुर विकास प्राधिकरण के सचिव ने पत्र क्रमांक टी.डी.आर/91/536 दिनांक 3.6.91 द्वारा इस संबंध में सूचित किया है कि धारा 4 के नोटिफिकेशन के समय ग्राम नन्दकिशोरपुरा उर्फ मान्यावास में 10,200/-रु0 प्रति बीघा के अनुसार भूमियों का पंजीयन हुआ था इसलिये जहां तक इनके

.......9.

ना का संबंध है यह दर उचित है ।

हमने इस संबंध में उप पंजीयत एवं तहसीलदार तहसील सांगानेर के यहां से अपने स्तर पर भी जानकारी प्राप्त की तो यह ज्ञात हुआ कि धारा 4 के नोटिफिकेशन के समय भी भूमि की दर इससे अधिक नहीं थी । तहसीलदार जयपुर विकास प्राधिकरण॥I॥ने भी अपने यू.ओ.नोट॥ दिनांक 8.5.9। द्वारा सन् 1987 की दर 6000/- प्रति बीघा दर्शायी है लेकिन सन् 188-89 की दर से सूचित नहीं किया गया ।

लेकिन इस न्यायालय द्वारा पूर्व में भी इसी क्षेत्र के आसपास की भूमि का मुआवजा राशि 24000/-रुपये प्रति बीघा की दर से अवार्ड जारी किये गये जिनका अनुमोदन राज्य सरकार से भी प्राप्त हो चुका है ।जयपुरविकास प्राधिकरण के अभिभाषक श्री के.पी.मिश्रा ने कोई लिखित में उत्तर नहीं देकर मौखिक रूप से यह निवेदन किया कि यदि मुआवजा राशि 24,000/- प्रति बीघा की दर से तय की जाती है तो जयपुर विकास प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं है । क्योंकि कुछ समय पूर्व भी इसी न्यायालय द्वारा इस भूमि के आसपास के क्षेत्र में 24,000/- प्रति बीघा की दर से अवार्ड पारित किये गये हैं ।

अत: इस मामले में भी इस भूमि का मुआवजा राशि 24,000/-प्रति बीघा की दर से दिया जाना उचित मानते है एवं हम यह भी मानते है कि धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय भूमि की कीमत यही थी ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत अवार्ड पारित करने के लिये 2 वर्ष की समयावधि नियत है लेकिन खातेदारान/हितधारान ने कोई क्लेम पेश नहीं किया है जो इस बात का द्योतक है कि वे अपना कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं करना चाहते है । इसलिये एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

जहां तक पेड़-पौधों सड़के,कुऐ एवं भूमि पर बने अन्य स्ट्रेक्चर्स का प्रश्न है खातेदारान् द्वारा कोई तकमीना पेश नहीं किया गया और ना ही जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोदित तकमीने पेश किये गये हैं । ऐसी स्थिति में स्ट्रेक्चर्स यदि कोई हो तो उसके मुआवजे का निर्धारण नहीं किया जा रहा है । जिसका निर्धारण बाद में जयपुर विकास प्राधिकरण से तकनीकी एवं अनुमोदित तकमीने प्राप्त होने पर विचार करके नियमानुसार निर्धारण किया जावेगा ।

हम इस भूमि के मुआवजा का निर्धारण तो 24,000/-रुपये प्रति बीघा की दर से करते है लेकिन मुआवजे का भुगतान विधिक रूप से मालिकाना हक सम्बन्धी दस्तावेजात पेश करने पर ही किया जायेगा । मुआवजे का निर्धारण परिशिष्ट "ए" के अनुसार जो इस अवार्ड का भाग है निर्धारण किया जा रहा है ।

........10,

89

(1-2)

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 23(1) एवं 23(2) के अन्तर्गत मुआवजे की उपरोक्त राशि पर नियमानुसार 30% प्रतिशत सोलेशियम एवं 12 प्रतिशत अतिरिक्त राशि भी देय होगी जिसका निर्धारण परिशिष्ट (ए) में मुआवजे की राशि के साथ दर्शाया गया है।

अतिरिक्त निदेशक (प्रथम) एवं सक्षम अधिकारी नगर भूमि एवं भवन कर विभाग ने अपने पत्र क्रमांक 918 दिनांक 31.5.91 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि पृथ्वीराज नगर योजना के समस्त 22 ग्राम जयपुर नगर संकुल सीमा में सीमित है एवं अरबन अधिनियम 1976 से प्रभावित है लेकिन उन्होंने यह सूचना नहीं दी है कि अरबन अधिनियम की धारा 10(3) की अधिसूचना प्रकाशित करवादी है अथवा नहीं ऐसी स्थिति में अवार्ड केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत पारित किये जा रहे हैं।

यह अवार्ड आज दिनांक 10.6.91 को पारित कर राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाता है।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनायें: जयपुर

भूमि अवाप्ति अधिकारी
(जयपुर विकास प्राधिकरण भवन)
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

29/6/91

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प 6(15) नविआ/87 दिनांक 29/6/91 के साथ अवार्ड अनुमोदन होकर प्राप्त हुआ है। खसरा नम्बर 188, 29/203, एवं 29/219 पर मा० राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर से स्थगन-आदेश होने के कारण उक्त खसरा नम्बरान का अवार्ड घोषित नहीं किया जा रहा है। ख० न० 56, 57, 60, 84, 85, 123 सिवाय चक भूमि होने के कारण उक्त खसरा नम्बरान का अवार्ड भी घोषित नहीं किया जा रहा है। शेष खसरा नम्बरान 200/2, 178, 192, 131/241, 196, 147, 145/218, 144/211, 140, 148, 151, 152, 141, 136, 200/1, 179/243, 200/207 एवं 1/262 का अवार्ड आज मेरे इजलास घोषित किया गया। एवं फाईल किया गया।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

PTO.

18/5/96

राज्य सरकार को धारा 46(15) के लिये। दिनांक 29/10/91 को अतिरिक्त अवार्ड अनुमोदन होकर प्राप्त हुई है। किन्तु रिट नं. 188, 29/203, 29/219 पर मा० उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश होने के कारण अवार्ड की घोषणा नहीं की गई थी। इन दिनांक 20/10/94 को मा० उच्च न्यायालय के [illegible] द्वारा [illegible] को [illegible] 2/ [illegible] के [illegible] में [illegible] है। जिसकी प्रति इस कार्यालय को आज दिनांक 18/5/96 को प्राप्त हुई है। अतः मा० उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुसरण में अवार्ड आज दिनांक 18/5/96 को पारित कर घोषित किया जाता है। [illegible] 12(2) का नोटिस जारी करें [illegible] के [illegible] किया जावे।

18.5.96

61

परिशिष्ट "ए"

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा बी.वि.	मुआवजा दर प्रति बीघा	भूमि का मुआवजा	सोलेशियम 30%	अतिरिक्त राशि 12%	कुल योग
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	श्री बिरदा पुत्र गोपाल माली	1/262	04-08	24,000/-	1,05,600/-	31,680/-	37,074/-	1,74,354/-
2.	श्री गोविंदराम पुत्र सूरजनारायण	29/203 29/219	10-00 03-07 13-07	24,000/-	4,02,400/-	1,21,720/-	1,41,510/-	6,65,630/-
3.	श्री कैलाश कुमार, ऋषि कुमार, इन्द्र कुमार पिता चौथमल नाबालिग संरक्षक रामदेवी बेवा चौथमल माली सा. स्विजफार्म	200/207	09-00	24,000/-	2,16,000/-	64,800/-	75,956/-	3,56,756/-
4.	श्री विक्रम सिंह महलावत पुत्र श्री बुधराम चौधरी जाट सा. बी-193, बापू-नगर, जयपुर	200/1 179/243	01-15 00-01 01-16	24,000/-	43,200/-	12,960/-	15,171/-	71,331/-
5.	श्री बनेसिंह पुत्र सवाई सिंह राजपूत सा. देह.	136	00-02	24,000/-	2,400/-	720/-	843/-	3,963/-

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

......2,

62

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8	9.	10.
6.	श्रीमती भंवरबाई धर्म पत्नि छोट सिंह राजपूत सा· दह	140	00-07	2					
		148	03-10						
		151	00-16						
		152	00-16						
		141	02-14						
			08-03	24,000/-	1,95,600/-	58,680/-	68,781/-	3,23,061/-	
7.	श्री जोहरीलाल पुत्र चंदा लाल जाति माली सा· स्वेजफार्म	146	01-02						
		147	01-15						
		145/218	08-12						
		144/211	07-15						
			19-04	24,000/-	4,60,800/-	1,38,240/-	1,62,037/-	7,61,077/-	
8.	श्रीमती सत्यवती देवी	192	03-00						
		191/249	04-08						
			07-08	24,000/-	2,67,000/-	80,100/-	93,878/-	4,40,978/-	
9.	श्री जगदीश, बाबूलाल	178	00-08	24,000/-	9,600/-	2,080/-	3,365/-	[illegible],15,045/-	

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास न्यास
जयपुर

..........3.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
10.	श्री भौरीलाल पुत्र	188	02- 06						
	छोटीलाल कुलावत	191	02 -14						
		190/250	01 -02						
			06 -02	24,000/-	1,46,400/-	43,980/-	51,480/-	2,41,800/-	
11.	श्री उत्तमचंद पुत्र राधारमण ब्रा०	200/2	07 -10	24,000/-	1,80,000/-	54,000/-	63,296/-	2,97,496/-	

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजना
जयपुर